न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी - मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2013/00076

1. नन्दकिशोर आत्मज अमरलाल(मृतक) निवासी पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. (कायम मुकामान)

1/1 रामशंकर पुत्र स्व. नन्दकिशोर
1/2 बनवारी पुत्र स्व. नन्दकिशोर
1/3 द्रोपदी पुत्री स्व. नन्दकिशोर
निवासीगण पीपल्दा खुर्द तहसील पीपलदा जिला कोटा राज.

2. रंगलाल निवासी छोटा पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–

2/1 केदार वल्द स्व. रंगलाल
2/2 चतुर्भुज वल्द स्व. रंगलाल
निवासीगण पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

––अपीलान्टगण

बनाम

मूर्ति मंदिर श्री राघव जी विराजमान अयाना सदैव नाबालिग जरिये(संरक्षक पुजारी गोपीदास मृतक) कायम मुकाम
महावीरदास पुत्र गोपीदास निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री शिरीष गौतम अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रमाकांत लोहिया अभिभाषक, रेस्पो0 1/1 की ओर से।

निर्णय **दिनांक: 28.02.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 26/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2006 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम छत्रपुरा के माल के खसरा नम्बर 103 की 1.40 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 104 की 1.50 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो मूर्ति राघव जी विराजमान ग्राम अयाना की भूमि है। इस मंदिर की सेवा पूजा व्यवस्था गोपीदास रखता है। वादी मूर्ति सदैव नाबालिग है जिसका संरक्षक गोपीदास है। जिसके हित व मूर्ति के हित समान है। वादी मूर्ति इस आराजी की खातेदार

कृषक है। मूर्ति के सदैव नाबालिग होने से मूर्ति की आराजी पर अन्य को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मूर्ति मंदिर की भूमि ग्राम छत्रपुरा में खसरा नम्बर 103 की 1.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104 की 1.50 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण वाद की सहमति से काबिज थे। किन्तु इस वर्ष प्रतिवादीगणों को काश्त करने से मना किया तथा मूर्ति द्वारा अन्य से काश्त करवाना चाहा तो प्रतिवादीगणों ने भूमि पर काश्त नहीं करने देने की धमकी दी । प्रतिवादीगण द्वारा अक्षय तृतीय सम्वत् 2054 आराजी पर से कब्जा नहीं छोड़ने पर वाद कारण पैदा हुआ है। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध बैदखली की डिकी पारित की जाकर ग्राम छत्रपुरा की खसरा नम्बर 103 रबका 1.49 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 104 रकबा 1.50 हैक्टेयर भूमि से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2006 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किए जाने की निर्णय व डिकी पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2006 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2006 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय व डिकी का ज्ञान प्रार्थीगण को सर्वप्रथम दिनांक 23.04.2007 को जब वे तहसील में केश सिक्युरिटी की राशि जमा करवाने गये तो उनकी राशि जमा नहीं की गई व उक्त आदेश होने के बाबत बतलाया जाने पर हुई। जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 23.04.2007 को ही निर्णय व डिकी जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रश्नगत अपील अविलम्ब पेश की है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

कोटा

अपील संख्या 2020/00038

नन्दलाल बनाम रामगोपाल वगै0

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय विधि एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। ग्राम छत्रपुरा के माल में आराजी खसरा नम्बर 103 की रकबा 1.40, खसरा नम्बर 104 की रकबा 1.30 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट का कब्जा व काश्त सन् 1974 से निरन्तर अबाध रूप से चला आ रहा है तथा आज भी अपीलांटगण का ही कब्जा काश्त है। उक्त भूमि को अपीलांटगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 16.03.1974 से खरीद किया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किए बिना ही जवाबदावा पेश करने के बावजूद एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2000 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में आदेश पारित किया था कि यदि उपरोक्त आराजी को प्रतिवादीगण अपीलांटगण काश्त करते रहना चाहे तो केश सिक्युरिटी 14950 रूपया प्रतिवर्ष जमा करवाकर काश्त कर सकेंगे अन्यथा उक्त आराजी पर तहसीलदार पीपल्दा को रिसीवर नियुक्त किया जाने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश की पालना में अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के निर्देश के मुताबिक निरन्तर प्रतिवर्ष केश सिक्युरिटी की राशि को जमा करवाते आ रहे है लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया तथा बिना अपीलांट को सुने ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित की है जो हर प्रकार से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को विवादित आराजी से बेदखल किया जाकर जमाशुदा केश सिक्युरिटी राशि को रेस्पोडेन्ट को दिये जाने बाबत आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने अवसर प्रदान किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मूर्ति श्री राघव जी विराजमान ग्राम अयाना के खाते की भूमि है। चूंकि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर की भूमि है तथा मूर्ति मंदिर सदैव नाबालिग मानी जाती है तथा मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई काश्त मूर्ति मंदिर द्वारा काश्त होना माना जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण को अवैध रूप से काबिज होने के आधार पर किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है। मूर्ति के सदैव नाबालिग होने के कारण अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के हक अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सहमति से रहा है। अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से काबिज होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांटगण को बेदखल करने के उद्देश्य से प्रश्नगत वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है तथा उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2006 पारित किया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2006 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1990 पेज 2 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2006 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम छत्रपुरा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 103 रकबा 1.49 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 104 रकबा 1.50 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में अपीलांटगण को बेदखल किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2048 से 2051 के अनुसार ग्राम छत्रपुरा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 103 व 104 कुल किता 2 कुल रकबा 2.99 हैक्टेयर भूमि मंदिर श्री राघव जी स्थान आयाना की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 16.03.1974 के द्वारा खरीद की गई है तथा अपीलांटगण स्वयं की खरीदशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 16.03.1974 में खसरा नम्बर 233 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि आनन्दीदास पुत्र धन्नादास द्वारा अपीलांटगण नन्दकिशोर व अमरलाल को विक्रय किए जाने का अंकन है। प्रश्नगत भूमि मूर्ति मंदिर की भूमि है अतः हमारे मत में आनन्दीदास को मंदिर की भूमि को विक्रय करने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। चूंकि मर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है अतः मूर्ति मंदिर की भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का हस्तांतरण प्रारंभ से ही अवैध एवं प्रभावशून्य माना जाता है। अतः प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 16.03.1974 प्रारंभ से ही अवैध एवं प्रभावशून्य है तथा प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 16.03.1974 के आधार पर अपीलांटगण को वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार के हक अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं हो सकते। अपीलांटगण का कथन है कि वह प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 16.03.1974 के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। हमारे मत में मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई काश्त मूर्ति मंदिर द्वारा काश्त होना माना

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

जाता है। अतः केवल कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांटगण को प्रश्नगत मंदिर की भूमि पर कोई हक अधिकार प्रोद्भुत नहीं हो सकते। हमारे मत में अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार निहित नहीं होने से अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यदि अपीलांटगण प्रश्नगत मंदिर की भूमि पर काबिज है तो उनका कब्जो अवैध एवं अतिक्रमण की श्रेणी का माना जावेगा। हमारे मत में अवैध रूप से काबिज अतिक्रमियों को संरक्षण प्रदान किया जाना उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2006 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 103 व 104 कुल किता 2 कुल रकबा 2.99 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2006 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण प्रश्नगत भूमि में स्वयं का हक अधिकार निहित होना प्रमाणित करने में असफल रहे है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 26/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2006 यथावत रखी जाती है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2013/00076

1. नन्दकिशोर आत्मज अमरलाल(मृतक) निवासी पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. (कायम मुकामान)
   1/1 रामशंकर पुत्र स्व. नन्दकिशोर
   1/2 बनवारी पुत्र स्व. नन्दकिशोर
   1/3 द्रोपदी पुत्री स्व. नन्दकिशोर
   निवासीगण पीपल्दा खुर्द तहसील पीपलदा जिला कोटा राज.
2. रंगलाल निवासी छोटा पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–
   2/1 केदार वल्द स्व. रंगलाल
   2/2 चतुर्भुज वल्द स्व. रंगलाल
   निवासीगण पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

––अपीलान्टगण

बनाम

मूर्ति मंदिर श्री राघव जी विराजमान अयाना सदैव नाबालिग जरिये(संरक्षक पुजारी गोपीदास मृतक) कायम मुकाम
महावीरदास पुत्र गोपीदास निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

––रेस्पोडेन्ट

वादपत्र संख्याः 26/2001

मूर्ती मंदिर श्री राघव जी विराजमान अयाना तहसील पीपल्दा सदैव नाबालिग जर्ये व्यवस्था पुजारी गोपीदास चेला आनन्दी लाल निवा अयाना तहसील पीपलदा जिला कोटा

––वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर आत्मज अमरलाल(मृतक) निवासी पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2. रंगलाल निवासी छोटा पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1 केदार आत्मज रंगलाल

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

2 चतुर्भुज आत्मज रंगलाल
जाति माली निवासीगण छोटा पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

——रेस्पोडेन्टगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 26/2001 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2006 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 28.02.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री शिरीष गौतम तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री रमाकांत लोहिया के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 29.04.2006 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिकी आज तारीख 28.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा